THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRi K P. UNNI-KRISHNAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

टेलीफोन की सार्वजनिक उपयोगिता की व्यवहारहीन सेवाएं

2503. डा० अबरार अहमद खान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टेलीफोन नम्बर, 197, 199 तथा 198 की सार्वजनिक उपयोगिता की सेवायें पूरी तरह से निष्क्रिय, लापरवाह और व्यवहारहीन हो गई हैं, यदि हां, तो सरकार उनको और सक्रिय तथा और योग्य बनाने के लिये क्या कदम उठा रही है ;

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : जी, नहीं। 197, 199 और 198 की जन उपयोगी सेवाएं अकुशल नहीं हुई हैं। कभी-कभी विलंब से जवाब आने का कारण या तो भारी परियात हो सकता है या कुछ अवसरों पर प्रचालन स्टाफ की बड़े पैमाने पर गैर हाजिरी।

इन सेवाओं में, विशेषकर बड़े केन्द्रों में, सुधार लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं:—

(1) संकुलन दूर करने के लिए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के जरिए परियात को बदलना,

(2) कुछ बड़े केन्द्रों में 197 और 198 की सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

Publication of the Telephone Directories

2504. DR. ABRAR AHMED KHAN: Will the Minister pf COMMUNICATIONS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1967 given in the Rajya Sabha on the 28th March, 1990 and state:

(a) what is the number of contractors who. were awarded pecuniary punishments qr blacklisted for delay in publication of the Telephone Directories;

(b) whether' the same contractors are still working; if so, the reasons therefor; and

(c) the 'reasons for which 197 ?ervice is not able to' give the number of a particular person even three months after installation qf telephone connection at his premises?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) to (c) The information is being collected and will be. laid on the table of the House, ',

एस०टी०डी० सुविधा के बारे में टेलीफोन ग्राहकों की शिकायतें

2505. डा० अबरार अहमद खान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस० टी० डी० सुविधा-प्राप्त अधिकतर टेलीफोन ग्राहकों की इन शिकायतों के कारण क्या हैं कि उन्होंने बहुत कम कालें की होती हैं परन्तु उनको बहुत बड़ी राशि के बिल भेज दिये जाते हैं, क्या यह भी सच है कि कुछ विभागीय कर्मचारी भी इस संबंध में शरारत करते हैं और टेलीफोन ग्राहक से प्रदान की गई एस०टी०डी० सुविधा का दुरुपयोग करते हैं, क्या इस प्रकार के कदाचार के कुछ मामले सरकार के सामने आये हैं, और क्या ऐसे कर्मचारियों को सरकार ने पकड़ा है, क्या सरकार ने टेलीफोन ग्राहकों द्वारा इस संबंध में की गई शिकायतों की जांच की है, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ! और

(ख) इस प्रकार के कदाचार न हों तथा टेलीफोन के ग्राहकों को अपनी एस० टी०डी० सुविधा का दुरुपयोग किये जाने के बारे म शिकायत न करनी पड़े इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार

क्या कदम उठा रही है, इस प्रकार की शिकायतें कब तक देश भर से हटा दी जायेंगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) लगभग 17 उपभोक्ता ही केवल ऐसे हैं जो अधिक मीटरिंग की शिकायतें करते हैं । तथापि, गलत/अधिक राशि के बिल संबंधी शिकायतों के मुख्य कारण (i) लिपिकीय भूलें, (ii) तकनीकी दोष, (iii) उपभोक्ता की यह आशंकाएं कि मीटर में अंतिम तौर पर जो समय रिकार्ड हुआ है, उससे उसने कम समय तक बात की है (iv) लाइनों का संदेहास्पद क्रिकपरिवर्तन ।

विभागीय कर्मचारियों द्वारा लाइनों का दुरुपयोग किए जाने के बारे में भी कुछ शिकायतें होती हैं जिनकी तत्परता पूर्वक जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

(ख) उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं वे हैं :--

(1) ई-10बी किस्म के आधुनिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में एसटीडी/आईएसडी के उपयोग को निष्क्रिय बनाने की सुविधा होती है । इसका प्रचालन उपभोक्ता स्वयं कर सकता है और विभाग के कर्मचारियों सहित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके दुरुपयोग की संभावना से बचा जा सकेगा।

(2) बिलिंग प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण, जो कि अधिकांश बड़ी प्रणालियों में पहले ही पूरा हो चुका है और संपूर्ण देश में यह कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है ।

(3) 1-12-89 से ई-10बी एक्सचेंजों से जुड़े सभी उपभोक्ताओं को एसटीडी/आईएसडी कालों का विवरण निशुल्क जारी करना ।

(4) जब किसी उपभोक्ता की कालें उसकी सामान्य काल दर से कहीं अधिक बढ़ जाती हैं अथवा जब कभी वह अपने टेलीफोनों के बारे में अधिक राशि के बिल आने की शिकायत करता है तो उसकी टेलीफोन लाइनों पर नजर रखना ।

(5) मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम रूमों में प्रवेश को नियंत्रित करना तथा डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंटों पर ताला लगाना ।

(6) चलते फिरते सतर्कता दलों का गठन ।

हालांकि बिलों संबंधी शिकायतों को न्यूनतम करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि, कुछ शिकायतें अभी भी हो सकती हैं ।

CBI Inquiry into Murder of the Wife of S. I. of Tripura Police

2506. SHRI NARAYAN KAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether CBl inquiry was demanded in the case of murder of the wife of Shri C'hanu Das, S. I. of Tripura Police serving at Agartala, in which connection accused confessed that he had kille^ on contract basis; and

(b) if so, what is Government's re. action thereto?

THE MINISTER OF STATE IN TJHE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) Shri Nripen Chakraborty, Leader of the Opposition in Tripura Legislative Assembly has proposed that the Union Home Minister may persuade the State Government to hand over the investigation of the case to the CBI and that the CBI may be directed to take it over.

(b) The State C. I. D. are investigating the case. The question of CBI considering taking over the investigation can arise only if the State Government makes such a proposal. No such proposal has been received •

Amount spent on C-DOT Inception

2507. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the[1] Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state: